**भारत सरकार**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं0 2530**

**दिनांक 08 अगस्‍त, 2018**

**मौजूदा उत्पादन साझाकरण अनुबंधों को**

**सुव्यवस्थित करना**

**2530. श्री टी॰ रतिनावेलः**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने घरेलू हाइड्रोकार्बन उत्पादन में वृद्धि करने के लिए नीति ढांचे में चार प्रमुख बदलावों के साथ मौजूदा उत्‍पादन साझाकरण अनुबंधों को सुव्यवस्थित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उत्तर-पूर्व के हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों के लिए अन्वेषण अवधि को दो साल और मूल्यांकन अवधि को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री**

**(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)**

(क) और (ख):  सरकार ने हाइड्रोकार्बन संसाधनों के घरेलू उत्पादन में वृद्धि के लिए उत्पादन हिस्‍सेदारी संविदाओं (पीएससीज) की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए नीतिगत ढांचे को अनुमोदित कर दिया है। नीतिगत ढांचे में शामिल हैं (i) एनईएलपी-पूर्व अन्वेषण खंडों में संविदाकारों के भागीदारी हित के अनुपात में रॉयल्टी और उप कर साझा करना और लागत वसूली योग्य बनाना; (ii) दिनांक 01 जुलाई, 2018 की स्‍थिति के अनुसार प्राकृतिक गैस के लिए मूल्‍य-निर्धारण की आजादी सहित, जिसका वाणिज्‍यिक उत्‍पादन अभी शुरू किया जाना है, विपणन के अलावा पूर्वोत्‍तर क्षेत्र (एनईआर) में प्रचालनरत ब्‍लॉकों के संबंध में अन्वेषण गतिविधियों के लिए अतिरिक्त 2 वर्ष और मूल्यांकन गतिविधियों के लिए अतिरिक्त 1 वर्ष प्रदान किया जाना; (iii) एनईएलपी पूर्व और एनईएलपी संविदाओं के प्रचालनरत ब्लॉकों में अपरिहार्य घटनाओं की स्‍थिति में नोटिस अवधि 7दिनों से बढ़ाकर 15 दिन करने की अनुमति और (iv) दिनांक 28.03.2016 एनईएलपी पूर्व पीएससी विस्‍तार के  लिए बनी नीति के तहत बढाई गई अवधि के दौरान एनईएलपी पूर्व खोजे गए क्षेत्रों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 42 के तहत कर लाभ विस्तार।

(ग) और (घ): सरकार ने ऐसी नीति को अनुमोदित कर दिया है जिसके तहत एनईआर में सभी प्रचालनीय एनईएलपी पूर्व तथा एनईएलपी ब्‍लॉकों के संबंध में उनसे अनुरोध मिलने पर, क्रमश: अन्‍वेषण अवधि में अधिक से अधिक दो वर्ष के अतिरिक्‍त समय (जिसे या तो एकल चरण के दौरान एक बार में ही अथवा विभिन्‍न चरणों के दौरान अलग अलग रूप में प्राप्‍त किया जा सकता है) और मूल्‍यांकन अवधि में अधिकतम एक वर्ष के अतिरिक्‍त समय की अनुमति दी जाती है।  यह अतिरिक्‍त समय विस्‍तार एनईएलपी पूर्व तथा एनईएलपी से संबंधित विस्‍तार नीति के तहत मिलने वाले समय विस्‍तारों से अधिक होगा।

\*\*\*\*\*